


कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-320/1/सा.प्र.वि./2025/360

भिलाई, दिनांक 05.03.25

//आदेश//

श्रीमती शशिकांता तोमर पति श्री अजय कुमार सिंह, पम्प सहायक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 13.03.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि 31.03.2025 अपराह्न को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।



उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-320/1/सा.प्र.वि./2025/361

प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 05.03.25

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जनसूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. सहायक कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. पेंशन लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्रीमती शशिकांता तोमर पति श्री अजय कुमार सिंह, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।


उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई